जुमा की फज़ीलत

मुहम्मद अज़हर मदनी

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो शख्स अच्छी तरह वजू करके जुमा की नमाज़ के लिये हाज़िर हुआ, ग़ौर से जुमा का खुतबा सुना और खामोश रहा तो उसके इस जुमा से अगले जुमा तक के गुनाह मआफ कर दिये गए और इसके अतिरिक्त तीन दिनों के गुनाह भी और जिसने कंकरी को छुवा तो उसने लग्व (अनावश्यक) काम किया। इस्लाम में जुमा के दिन और जुमा की नमाज़ का एहतमाम करने पर बल दिया गया है। एक हीस में पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन को उम्मते मुहम्मदिया के लिये अल्लाह का खुसूसी इंआम क़रार दिया है। एक दूसरी हदीस में जुमा को हफ्ते की ईद कहा गया है।

उपर्युक्त हदीस जिससे इस लेख की शुरूआत की गई है से भी यह स्पष्ट होता है कि एक मोमिन को जुमा के दिन नहा धो कर पहले अच्छी तरह वजू करना चाहिए उसे नमाज़ के लिये पहली घड़ी में मस्जिद जाना चाहिए, बैठ कर इमाम के खुतबे को गौर से सुनना चाहिए। इस दौरान अगर कोई कंकरी या तिंका नज़र आए तो इसे हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस से जुमा के खुतबे को सुनने में एकाग्रता में खलल पैदा होगा जिसे शरीअत ने नापसन्द किया है। जो शख्स जुमा की नमाज़ और उसका खुतबा सुनने का एहतमाम करने में कामयाब हो गया उसके लिये खुश्खबरी है इस एहतमाम से लगभग दस दिनों के गुनाह मआफ हो जाएंगे।

हम लोगों में पायी जाने वाली बेशुमार कमियों खामियों में एक खामी यह भी है कि जुमा के शिष्टाचार का ख्याल नहीं करते। कुछ लोग जुमा के दिन अपना वक़्त बच्चों को खामूश कराने में लगा देते हैं और खतीब जेहनी उलझन का शिकार रहता है। ऊपर बयान की गई हदीस में कंकरी को छूने के काम को भी लग्व (फालतू) करार दिया गया है तो फिर खुतबे के दौरान शोर गुल करने से क्या नुकसानात होते होंगे इसका अन्दाज़ा लगाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक हदीस में इस से बड़ी खुश्खबरी सुनाई गई है। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः पांचों नमाज़ें, एक जुमा दूसरे जुमा तक और एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक इस दर्मियानी मुददत में होने वाले गुनाहों के लिये प्रायिश्चित है शर्त यह है कि महा पाप से बचा जाए। (सहीह मुस्लिम ५-२३३) यह हदीस हम गुनेहगारों के लिये किसी खुश्खबरी से कम नहीं है दिन रात हम से पाप होते रहते हैं ऐसे में अगर दयालु रब से गुनाहों की प्रायिश्चत और मआफी का इन्तेज़ाम न हो तो हमारे लिये खसारा निचिश्त हैं। उपर्युक्त हदीस हम को सन्देश दे रही है कि अगर हमें गुनाहों के बोझ तले दब जाना मनजूर नहीं है तो हम हर हाल में पांचों वक़्त की नमाज़ों, जुमा के दिन की इबादत और दूसरी इबादतों का आख़िरी हद तक एहतमाम करें इसके बिना न हमारे गुनाहों का बोझ कम हो सकता है और न हम उसकी खुशी के पात्र करार पा सकते हैं। दिन भर में पांचों वक़्त की नमाज़ें हम में से कुछ लोगों को बोझ लगती हों गी लेकिन यह हमारे रब की तरफ से बन्दों पर खास करूण एवं कृपा है कि उसने हम सब को दिन रात में पांच बार अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है ताकि बन्दे को उसकी सहायता प्राप्त हो जाए और हम स्वयं नमाज़ की पाबन्दी करने के साथ अपने दूसरे भाइयों को नमाज़ के लिये प्रेरित करें, अल्लाह तआला हम सबको इस की क्षमता दे। आमीन

मासिक

इसलाहे समाज

मार्च 2021 वर्ष 32 अंक 3

शअ्बानुल मुअज़्ज़म 1442 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

एहसानुल् ह़क़

❑	वार्षिक राशि	100 रुपये
❑	प्रति कापी	10 रुपये
❑	टोटल पेज	28

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)

4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद

दिल्ली-110006

फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से भारत आफसेट **2035** क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल **4116**, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: एहसानुल् हक़

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1.	जुमा की फज़ीलत	2
2.	क़ुरआन की शिक्षाएं	4
3.	तारीख की सबसे बड़ी वसिय्यत ...	6
4.	शअ्बान महीने के अहकाम	8
5.	रोज़े के अहकाम और मसाइल	10
6.	रमज़ान के रोज़े की अहमियत ...	12
7.	क़ुरआन	15
8.	वक़्त अल्लाह की बड़ी नेमत है	19
9.	महिला का आदर्श चरित्र	20
10.	प्रेस रिलीज़ (सम्पादक का निधन)	23
11.	क्षमा और कृपा	24
12.	ऐलाने दाखिला	25
13.	हत्या हराम है	26
14.	अपील	27
15.	अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन)	28

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

कुरआन की शिक्षाएं

नौशाद अहमद

जब गलत फहमी जनम लेती है तो यह बहुत सारी बुराइयों और आशंकाओं की भूमिका बन जाती है, गलत फहमी फैलाने का मक़सद दूसरों को बदनाम करना और एक दूसरे के बीच दूरी पैदा करना होता है। गलत फहमी और अफवाह फैलाना अपराध है। पवित्र कुरआन मानवता के नाम अल्लाह का अन्तिम सन्देश है। मुसलमानों का यह अकीदा और आस्था है कि यह अल्लाह की तरफ से भेजी गई मानवता को सफलता तक पहुंचाने वाली आखिरी किताब है।

अगर किसी के सिलसिले में कोई बात कही जा रही हो तो ईमानदारी और मानवता यह है कि इसके बारे में छानबीन की जाए। किसी की धार्मिक किताब के बारे में गलत फहमी पैदा करना किसी की छवि खराब करने के लिये गलतफहमी पैदा करना बहुत बड़ा दोष है। लेकिन आज इसको स्वार्थियों ने अपना मिशन बना लिया है जब कि यह रूझान और सोच पूरे समाज के लिये अत्यंत हानिकारक है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुरआन करीम के बारे में गलत फहमी और भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है जबकि उसकी शिक्षाएं पूरी मानवता की सफलता की गारन्टी लेती हैं। यहां पर कुरआन की कुछ आयतों का अनुवाद पेश किया जा रहा है जिन से यह स्पष्ट होता है कि उसके अन्दर मानवता, उदारता, सहिष्णुता और सदभावना की वह शिक्षाएं मौजूद हैं जो सबके लिये आदर्श की हैसियत रखती हैं।

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः ''तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन है और मेरे लिये मेरा दीन है'' (सूरे काफिरून-६)

कुरआन की यह आयत धार्मिक उदारता को दर्शाती और स्पष्ट करती है

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः ''दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं'' यह आयत इस बात की तालीम देती है कि किसी को धर्म कुबूल करने के लिये मजबूर नहीं किया जाए गा। पूरी इस्लामी इतिहास गवाह है कि किसी के साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की गई। कुमार्ग और सत्यमार्ग स्पष्ट होने के बाद इन्सान के अपने मन पर निर्भर करता है कि वह किस रास्ते पर चलना चाहता है। सत्यमार्ग इन्सान को भलाई और सफलता की तरफ ले जाता है और कुमार्ग इन्सान को घाटे की तरफ ले जाता है।

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः ''और अल्लाह तआला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक (साझीदार) न करो और मां बाप के साथ सदव्यवहार और एहसान करो और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्कीनों से और करीब के पड़ोसियों से और अजनबी पड़ोसियों से और पहलू के साथी से और राह के मुसाफिर से और उनसे जिन के मालिक तुम्हारे हाथ हैं (गुलाम, कनीज़) यक़ीनन अल्लाह तआला घमण्ड करने वालों और शेखी खोरों को पसन्द नहीं फरमाता''। (सूरे निसा-३६)

कुरआन में यतीमों के अधिकारों के बारे में फरमायाः ''जो लोग नाहक़ (जुल्म) से यतीमों का माल खा जाते हैं, वह अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और अनकरीब वह नरक में जायेंगे''। (सूरे निसा-१०)

कुरआन दूसरों के माबूदों को अपशब्द बोलने से रोकता है।

''और दुश्नाम (गाली, अपशब्द) मत दो उनको जिन की यह लोग अल्लाह तआला को छोड़ कर इबादत करते हैं फिर वह अज्ञानता में हद से गुज़र कर अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे'' (सूरे अंआम-१०८)

कुरआन लोगों को बेहयाई से दूर रहने और इन्साफ का हुक्म देता है।

''अल्लाह तआला इन्साफ का, भलाई का और रिश्तेदारों के साथ सदव्यवहार करने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों, असभ्य हर्कतों और जुल्म व ज़्यादती से रोकता है, वह खुद तुम्हें नसीहतें कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो'' (सूरे नह्ल-९०)

कुरआन कहता है कि हर इन्सान अपने अपराध का स्वयं जिम्मेदार है।

''जो सत्य मार्ग हासिल करले वह खुद अपने ही भले के लिये राहयाफता होता है और जो भटक जाए उसका बोझ उसी के ऊपर है, कोई बोझ वाला किसी और का बोझ अपने ऊपर न लादेगा'' (सूरे इसरा-१५)

कुरआन लोगों को नेक काम में सहयोग करने और बुरे काम में सहयोग न करने की शिक्षा देता है।

''नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे की सहायता करते रहो और गुनाह और जुल्म व ज्यादती में मदद न करो बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है'' (सूरे माइदा-२)

अफवाह से दूर रहने और बचने का आदेश दिया गया है जैसा कि कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः ''ऐ मुसलमानो! अगर तुम्हें कोई फासिक़ खबर दे तो तुम उस की अच्छी तरह से तहक़ीक़ कर लिया करो। ऐसा न हो कि नादानी (अज्ञानता) में किसी क़ौम को ईज़ा (दुख) पहुंचा दो फिर अपने किए पर पशेमानी उठाओ।'' (सूरे हुजुरात-६)

कुरआन की इस आयत में खबर की छान बीन की अहमियत को स्पष्ट किया गया है और अफवाह से बचने की शिक्षा दी गई है।

कुरआन ने समाज में अम्न व शान्ति को स्थापित करने का हुक्म दिया है और झगड़ा फसाद से सख्ती के साथ रोका है।

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''और हमने कह दिया कि अल्लाह का रिज़्क खाओ पियो और ज़मीन में फसाद न करते फिरो'' (सूरे बक़रा-६०)

औरतों के अधिकारों के बारे में कुरआन ने फरमाया कि मर्दों जैसे अधिकार औरतों के भी हैं।

कुरआन ने लोगों को विनम्रता और संयम अपनाने की तालीम दी है फरमायाः ''रहमान के (सच्चे) बन्दे वह हैं जो जमीन पर फिरोतनी (विनम्रता) के साथ चलते हैं और जब बे इल्म लोग उनसे बातें करने लगते हैं तो वह कह देते हैं कि सलाम है।'' (सूरे फुरक़ान-६३)

मानवता के बारे में इस्लाम धर्म की इससे स्पष्ट शिक्षा क्या हो सकती है। किसी भी गलत फहमी को दूर करने का सब से आसान तरीक़ा यह है कि उस किताब का डायरेक्ट अध्ययन किया जाए और अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए।

तारीख की सबसे बड़ी वसिय्यत
मांगो तो उसी रब से माँगो

मौलाना खुर्शी अहमद मदनी

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा को जो अहम बातें बताईं उनमें यह भी फरमायाः जब तुम कोई चीज़ मांगो तो अल्लाह से मांगो''। (तिर्मिज़ी)

जब हमारा यह ईमान है कि अल्लाह हमारा सच्चा माबूद (पूज्य) है तो इस ईमान का तक़ाज़ा (मांग) यह है कि हम किसी सृष्टि पर विश्वास करने के बजाए, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ उसी के सामने दामन फैलाएं, उसी के सामने हाथ फैलाएं जैसा कि कुरआन में है ''और अल्लाह से उसका फ़ज़्ल मांगा करो'' (सूरे निसा-३२) अल्लाह ने फरमायाः ''तुम्हारे रब ने कह दिया है कि तुम सब मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कुबूल करूंगा।'' (सूरे मोमिन-६०)

इस लिये कि जब बन्दा पूर्ण ईमान, सच्चे जजबे के साथ अल्लाह को पुकारता और उसके सामने अपनी झोली फैलाता है तो वह बहुत खुश होता है बल्कि जो अल्लह से नहीं मांगता उससे वह नाराज़ होता है। (तिर्मिज़ी-३३७३)

अल्लाह तआला ने फरमायाः बेशक जो लोग घमण्ड की वजह से मेरी इबादत नहीं करते वह जल्द ही जिल्लत व रूसवाई के साथ जहन्नम में दाखिल होंगे। (सूरे मोमिन-६०)

एक कवि ने कहा

''इन्सान से कोई चीज़ न मांगो बल्कि उससे मांगो जिसके करूणा और दानवीरता के दरवाज़े कभी बन्द नहीं होते हमेशा खुले रहते हैं। अगर तू अल्लाह से मांगना छोड़ दे तो वह नाराज़ होता है और इस के विपरीत इन्सान से मांगने पर नाराज़ होता है।

हमें उससे मांगना है जो हर जगह और हर वक़्त बन्दों की पुकार सुनता है। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

(ऐ नबी!) अगर आप से मेरे बन्दे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब वह मुझे पुकारता है'' (सूरे बक़रा-१६८)

हमें उससे मांगना है जो देने के लिये हर रात एलान कर रहा है। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः है कोई मांगने वाला मैं उसकी मांग को पूरी करूंगा।''

उससे मांगना है जो ज़मीन और आसमान का मालिक है (सूरे मुनाफिकून-६३)

और हदीस क़ुदसी में है ''अगर तुम्हारे अगले पिछले इन्सान और जिन्नात, तमाम के तमाम खुले मैदान में खड़े हो कर मुझ से मांगें और मैं हर एक को उसकी मांग के मुताबिक देता जाऊं तो इससे मेरे खज़ानों में केवल इतनी सी कमी होती है जितनी समुद्र में सूई डिबो कर निकालने से कमी आती है।'' (सहीह मुस्लिम)

तौहीद की आत्मा और उसका स्वभाव यह है कि ऐसी चीज़ जिसे

देना केवल अल्लाह के अधिकार और बस में है जैसे बीमारी से शिफा, इल्म, सीधी राह, नैतिकता, रोज़ी औलाद, इन चीज़ों को दूसरों से मांगना तौहीद (एकेश्वरवाद) के विपरीत यानी शिर्क है इसलिये जो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों से मांगते हैं वह शिर्क करते हैं। जैसा कि कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः और उस आदमी से बढ़ कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के बजाये उन माबूदों (पूज्यों) को पुकारता है जो क़्यामत तक उनकी पुकार को न सुन सकें गे। (सूरे अहक़ाफ़-५)

''जो अपनी मदद आप करने पर कादिर (शक्ति न रखते) हों वह भला दूसरों की क्या मदद करेंगे।'' (सूरे आराफ-१९७)

जो खुद मोहताज हों दूसरों का भला उससे मदद का मांगना क्या

मरने के साथ ही किसी को भी देखने, सुनने समझने और चलने की ताक़त खतम हो जाती है। अब इन में से कोई भी चीज़ उनके पास मौजूद नहीं है। कुरआन में अल्लाह ने फरमायाः

''क्या उनके पांव हैं जिन से वह चलते हैं या उनके हाथ हैं जिनसे वह छूते हैं या उनकी आंखें हैं जिनसे वह देखते हैं या उनके कान हैं जिन से वह सुनते हैं? आप कह दीजिए कि तुम अपने माबूदों को बुला लो फिर मेरे खिलाफ मिल कर साजिश करो और मुझे मोहलत भी न दो। (सूरे आराफ १९५)

अफसोस आज उम्मत (मुसलमानों) की अधिकतर तादाद शिर्क में लिप्त है यह कितने दुख और अफसोस की बात है कि एक अल्लाह को छोड़ कर कठिनाइयों और दुखों में मरने वालों को मदद के लिये पुकारा जाता है।

अगर आप ने किसी जिन्दा इन्सान से ऐसी चीज़ का सवाल किया जिस के देने पर वह सामर्थ और ताक़त रखता है पैसा मांगा, सवारी मांगी, मदद मांगी तो शरीअत की निगाह में जायज़ तो है लेकिन यह भी निन्दनीय कृत्य है इसके विपरीत कुरआन में ऐसे लोगों की तारीफ की गई है जो दूसरों से मांगने से बचते हैं।

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

सदक़ा उन फुक़रा के लिये है जो अल्लाह की राह में बन्द हो गये। ज़मीन में (रोज़गार ढूढ़ने के लिये) चल फिर नहीं सकते। नावाकिफ लोग उनके सवाल न करने की वजह से उन्हें मालदार समझते हैं आप उन्हें उनके चेहरों से पहचान लें गे वह लोगों से सवाल करने में इलहाह से काम नहीं लेते''।

इसी तरह जो माल को बढ़ने के लिये लोगों से मांगते हैं उनके लिये यह चेतावनी भी आई है ''वह क्यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा'' (बुख़ारी, मुस्लिम किताबुज़्ज़कात)

अल्लाह वह है जो व्हील मछली को रोज़ाना समुद्र में ४ टन गोश्त खिलाता है तो हम फिर दो रोटी के लिये परेशान क्यों होते हैं? हम ईमानदारी के साथ मेहनत करें और केवल उस बड़ी हस्ती से मांगें जो देता है खुशी से और कहता नहीं किसी से और याद रखें कि जो उससे नहीं मांगता वह सबसे मांगता है।

❑ ❑ ❑

शअ्बान महीने के अहकाम

मौलाना अब्दुल मन्नान शिकरावी

शअ्बान महीने की फ़ज़ीलत यह है कि इस महीने में बन्दों के आमाल अल्लाह के सामने पेश किये जाते हैं जैसा कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! जितने रोज़े आप शअ्बान के महीने में रखते हैं मैंने इतने रोज़े किसी दूसरे महीने में रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः रजब और रमज़ान के दर्मियान यह ऐसा महीना है जिससे लोग गफ़लत करते हैं यह ऐसा महीना है जिस में आमाल अल्लाह के पास पेश किये जाते हैं, मैं चाहता हूं, कि मेरा अमल इस हाल में पेश किया जाए कि मैं रोज़े से रहूं। (नेसई)

आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखते थे जैसा कि हज़रत आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा फरमाती हैंः नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम शअ्बान के महीने से ज़्यादा किसी अन्य महीने में रोज़ा नहीं रखते थे, आप पूरा शअ्बान रोज़ा रखते थे। (बुखारी)

शअ्बान की दर्मियानी रात में गुनाहों को मआफ करने से संबन्धित हज़रत अबू मूसा अश्अरी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः बेशक अल्लाह तआला आधे शअ्बान की रात (अपने बन्दों पर) नज़र फरमाता है फिर मुश्रिक और (मुसलमान भाई से) दुश्मनी रखने वाले के सिवा पूरी सृष्टि की बख्शिश फरमा देता है (इब्ने माजा) अल्लामा अल्बानी ने इस रिवायत को हसन कहा है।

शअ्बान में असलाफ के अमल के बारे में सलमा बिन कुहैल रह० फरमाते हैं कि शअ्बान के महीने को कारियों का महीना कहा जाता था'' जब शअ्बान का महीना शुरू होता तो हबीब बिन साबित रह० फरमाते ''यह कारियों का महीना है'' जब शअ्बान का महीना शुरू हो जाता तो उमर बिन क़ैस मलाई रह० अपनी दुकान बन्द कर देते और कुरआन करीम की तिलावत के लिये फारिग हो जाते। (लताइफुल मआरिफ)

अबू बक्र बलखी रह० फरमाया करते थेः रजब खेती का महीना है और शअ्बान खेती को सींचने और रमज़ान खेती काटने का'' यह फरमाते थे। ''रजब की मिसाल हवा की, शअ्बान की मिसाल बारिश जैसी है। जिसने रजब के महीने में जोता बोया नहीं और शअ्बान में खेती को सैराब नहीं किया तो वह रमज़ान में खेती काटने का ख़ुवाब कैसे देख सकता है।'' यह हमारे असलाफ (पूर्वज) थे जो दीन की बारीकियों को समझते थे और इनके अनुसार अमल करते थे।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम छः महीना पहले दुआ करते कि अल्लाह उन्हें रमज़ान का महीना नसीब करे और रमज़ान में इबादत के बाद छः महीने तक इस इबादत के कुबूल हो जाने के लिये दुआ करते थे। यहया बिन कसीर रह० बयान करते थे कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहो अन्हुम यह दुआ करते थे ऐ अल्लाह मुझे रमज़ान के हवाले कर दे, मेरे लिये इसे सलामती वाला बना दे और

इसमें (किये गये आमाल) को मुझ से कुबूल फरमा ले।'' वह यह दुआ इस लिये करते थे क्योंकि रमज़ान तक जीवित रहने की क्या गारन्टी है और इस बात की क्या ज़मानत है कि जब रमज़ान आए गा तो सेहत व तन्दुरूस्ती बाकी रहेगी।

बाज़ लोग सख्त गर्मी के मौसम में रोज़ा छोड़ देते हैं और तरह-तरह के हीले बहाने ढूंढ़ने लगते हैं जबकि सख्त गर्मी में रोज़ा रखने का सवाब ज़्यादा मिलता है जैसा कि हदीस शरीफ में है कि जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की मौत का वक़्त करीब आया तो उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि सख्त गर्मी वाले रोज़े नसीब नहीं होंगे। हज़रत अबू बक्र सिददीक रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि वह गर्मी में रोज़े रखते और सर्दी के मौसम में बगैर रोज़े के रहते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने अपने बेटे अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को मौत के वक़्त वसियत फरमाई की कि वह सख्त गर्मी में ज़रूर रोज़ा रखें। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा भी सख्त गर्मी के दिनों में रोज़े रखती थीं।

१५शअ्बान को खास करके रोज़े रखने की कोई दलील नहीं (मजमूउल फतावा १०/३/३८५)

१५वीं शअ्बान की रात को महफिल आयोजित करने के बारे में शैख इब्ने बाज़ रह० फरमाते हैं कि १५ शअबान को महफिल जमाना, इस दिन रोज़ा रखना कुछ लोगों की तरफ से विदअत (दीन में नई बातों) में से है। इसकी कोई ऐसी दलील नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके। इसकी फज़ीलत के बारे में बाज जईफ हदीसें हैं जिन पर विश्वास कर जायज़ नहीं। (मजमूउल फतावा १/१८६)

शैख इब्ने बाज़ रह० ने यह भी फरमाया कि १५वीं शअबान की रात को नमाज़ वगैरह का एहतमाम करना और इसके दिन को रोज़ा के लिये खास करना अधिकांश ओलमा के नज़दीक बदतरीन बिदअत है इसकी शरीअत में कोई बुनियाद नहीं है बल्की सहाबा किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम के ज़माने के बाद इसका वजूद अमल में आया। (मजमूउल फतावा १/१९१)

अल्लामा इब्ने उसैमीन रह० फरमाते हैंः सहीह बात यही है कि १५वें शअ्बान का रोज़ा या खास तौर पर इस दिन तिलावत या जिक्र व अज़कार करना, शरीअत में इस की कोई असल व बुनियाद नहीं है १५वें शअ्बान का दिन दूसरे महीनों के दिनों के ही समान है। (मजमूउल फतावा २०-२३)

अल्लामा उसैमीन रह० फरमाते हैंः १५वें शअ्बान को खुसूसियत के साथ रोज़ा रखना सुन्नत नहीं है और जब सुन्नत नहीं है तो हर हाल में बिदअत है क्योंकि रोज़ा एक इबादत है और जब शरीअत से इबादत की बात साबित न हो तो हर हाल में बिदअत (दीन में नई बात) होगी। (मजमूउल फतावा २०-२६)

१५वें शअ्बान में साल भर की रोज़ी और आमाल की तक़दीर लिखे जाने के बारे में अल्लामा इब्ने उसैमीन रह० फरमाते हैं कि यह झूठ है बल्कि यह सब लैलतुल कद्र में होता है। (मजमूउल फतावा २०-३०)

अल्लामा उसैमीन रह० फरमाते हैं कि बाज लोग १५वें शअ्बान के दिन खाना बना कर फकीरों, मोहताजों में बांटते हैं और इसे मां बाप के शाम के खाने का नाम देते हैं। इस का नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से कोई सुबूत नहीं है इस लिये इस दिन को इन आमाल के लिये खास करना बिदआत में से है।

(मजमूउल फतावा २०-३१)

रोज़े के अहकाम और मसाइल

शैखुल हदीस मौलाना
उबैदुल्लाह रहमानी रह०

सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया इन्सान जो भी कर्म करता है उस कर्म का बदला उसे दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक मिलता है लेकिन रोज़ा के बारे में अल्लाह तआला फरमाता है कि रोजा खालिस मेरे लिये होता है इसलिये मैं ही इस का बदला दूंगा रोज़ा रखने वाला केवल मेरे लिये अपनी जिन्सी खुवाहिशात और मेरे लिये खाने पीने को छोड़ता है। रोज़ा रखने वाले के लिये खुशी के दो अवसर हैं एक खुशी उसे इफतार के वक्त हासिल होती है और दूसरी खुशी उसे उस वक्त प्राप्त होगी जब वह अपने पालनहार से मुलाकात करेगा और रोज़ा रखने वाले के मुंह की बू अल्लाह के यहां कस्तूरी खुश्बू से ज्यादा प्रिय है। (बुखारी १८४४ मुस्लिम १६४) हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में उमरा करना हज करने के बराबर है। (सहीह बुखारी, १७८२, मुस्लिम १२५६)

सेहरी देर से खाना सुन्नत है। एक रिवायत में है कि आप स०अ०व० फज्र की नमाज़ और सेहरी खाने में इतना गेप रखते थे कि जिस में आदमी पचास आयत पढ़ सके (बुखारी)

सूरज डूबने का यकीन होते ही इफतार में जल्दी करना मुस्तहब है। आप स०अ०व० ने फरमाया लोग उस वक्त तक खैर पर रहेंगे जब तक इफतार में जल्दी करेंगे। (बुखारी, मुस्लिम) आप स०अ०व० ने फरमाया रमजान के महीने में जिक्रे इलाही करने वाले की मगफिरत कर दी जाती है। एक रिवायत में है कि तीन लोगों अर्थात रोजेदार, इन्साफ करने वाले और मजलूम की दुआ रदद नहीं की जाती। (इब्ने खुजैमा, इब्ने हिब्बान)

क्या करने से रोज़ा नहीं टूटता

''१. गीली या सूखी मिस्वाक दिन के किसी भी हिस्से में करना

२. सुर्मा लगाना और आंख में दवा डालना

३. सर या बदन में तेल मलना

४. खुश्बू लगाना

५. सर पर भीगा कपड़ा रखना

७. इंजेक्शन लगवाना जो कुव्वत और खाने का काम न दे।

८. जरूरत पड़ने पर खाने का नमक चेक करके तुरन्त थूक देना या कुल्ली करना

९. सुबहे सादिक के बाद नहाना

१०. मर्द का बीवी को चुंबन लेना व लिपटना, शर्त है कि मर्द अपने को कन्ट्रोल में रख सकता हो और संभोग का डर न हो।

११. रात में एहतलाम हो जाना

१२. औरत को देख कर इन्जाल अर्थात वीर्य का बाहर आ जाना।

१३. खुद से उलटी हो जाना चाहे थोड़ा हो या ज्यादा

१४. नाक में पानी डालना बगैर मुबालगा

१६. नाक के रेंठ का अन्दर ही अन्दर हलक के रास्ते अन्दर चले जाना

१७. कुल्ली करना शर्त यह है कि मुबालगा न करे।

१८. कुल्ली करने के बाद मुंह में पानी की तरी का थूक के साथ अन्दर चले जाना।

१९. मक्खी का हलक में चले जाना।

२०. इस्तिन्शाक-नाक में (पानी चढ़ाना बिना मुबालगा) की सूरत में बगैर इरादा पानी का नाक से हलक के अन्दर उतर जाना।

२१. मुंह में जमा थूक पी

जाना मगर ऐसा न करना बेहतर है।

२२. मसूढ़े के खून का थूक के साथ अन्दर चला जाना।

२३. कुल्ली करते वक्त बिना इरादा पानी का हलक़ में उतर जाना।

२४. शर्मगाह में पिचकारी के ज़रिये दवा वगैरह दाखिल करना

२५. औरत से चुंबन व लिपटने की सूरत में इन्जाल हो जाना

२६. भूल कर खा पी लेना।

२७. गर्द गुबार धुवां या आटा उड़ कर हलक में चले जाना। २८. मोछों में तेल लगाना

२९. कान में तेल या पानी डालना और सलाई डालना

३०. दांत में अटके हुये गोश्त या खाने का टुकड़ा जो महसूस न हो और विखर कर हलक के अन्दर चला जाये।

रोज़ा टूट जाता है।

१. जान बूझ कर खाना पीना थोड़ा हो या ज्यादा

२. जान बूझकर संभोग करना

३. जान बूझकर उलटी करना थोड़ी हो या ज्यादा

४. हुक्का, बीड़ी सिग्रेट पीना,

५. पान खाना

७. खाना पीना या संभोग करना रात समझ कर या यह ख्याल करके कि सूरज डूब गया है जबकि सुबह हो चुकी थी या सूरज डूबा नहीं था।

८. मुंह के अलावा किसी जख्म के रास्ते से नलकी के माध्यम से खाना या दवा अन्दर पहुंचाना

इन सब हालतों में टूटे हुये रोज़ों को पूरा करना जरूरी है और जान बूझ कर बीवी से संभोग कर लेने पर कज़ा के साथ कफ्फारा देना भी ज़रूरी है।

मासिक इसलाहे समाज

स्वामित्व का एलान

फार्म न० 4 रूल न० 1

नाम पत्रिका	:	इसलाहे समाज
अवधिकता	:	मासिक
प्रकाशन स्थान	:	अहले हदीस मंजिल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-6
मुद्रक व प्रकाशक	:	मुहम्मद इरफान शाकिर
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	सी-125/2 अबुल फज़ल इन्कलेव-2 शाहीन बाग, जामिया नगर, नई दिल्ली25
सम्पादक	:	एहसानुल हक
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	अहले हदीस मंजिल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-6
स्वामित्व	:	मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द 4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-6

मैं मुहम्मद इरफान शाकिर, मुद्रक व प्रकाशक पुष्टि करता हूं कि उपर्युक्त बातें मेरे ज्ञान के अनुसार सहीह हैं।

हस्ताक्षर

प्रकाशक एवं मुद्रक

मुहम्मद इरफान शाकिर

रमज़ान के रोज़े की अहमियत व फज़ीलत

डा० अमानुल्ला मदनी

अल्लाह तआला ने इन्सान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिये पैदा किया है कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः ''मैंने जिन्नों और इन्सानों को केवल अपनी इबादत के लिये पैदा किया है'' (सूरे ज़ारियात-५६) इस लिये हर मुसलमान को चाहिए कि वह मरते दम तक अल्लाह की इबादत व बन्दगी में मश्गूल रहे।

रमज़ान का महीना खैर व बरकत के एतबार से तमाम महीनों में सबसे अफज़ल (श्रेष्ठतम) है इसलिये इस बरकत वाले महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने चाहिएँ।

निम्न पंक्तियों में उन नेक कर्मों का उल्लेख किया जा रहा है जिन्हें रमज़ान के महीने में खूब पाबन्दी और लगन से करना चाहिए।

रमज़ान के महीने का रोज़ा हर आक़िल बालिग़ मर्द और औरत पर फर्ज़ है जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरे बक़रा की आयत न १८३ में फरमाया है।

रोज़े की इतनी फज़ीलत है कि अल्लाह तआला इसका बदला खुद ही देता है। सहीह बुखारी की एक हदीस का सारांश है कि चूंकि रोज़ेदार सिर्फ अल्लाह के लिये खाना पीना छोड़ देता है इसलिये अल्लाह तआला रोज़ेदार को बगैर किसी माध्यम के स्वयं ही रोज़े का बदला देगा। (सहीह बुखारी ७४४२)

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो शख्स ईमान और सवाब की उम्मीद और आशा से रोज़ा रखे गा अल्लाह तआला उसके तमाम गुनाहों को मआफ कर देगा। (सहीह बुखारी-३८)

क्यामुल्लैल (तरावीह) का एहतमाम करना अल्लाह के नजदीक बहुत ही प्रिय इबादत है। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम कयामुल्लैल का काफी एहतमाम करते थे। आप इतनी देर तक खड़े होकर इबादत करते थे कि इसकी वजह से आपके पैर में सूजन आ जाता था। सहीह बुखारी हदीस ४८३६ में है कि अल्लाह के रसूल पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इतनी देर तक क्याम करते थे कि आप के पैरों में वरम (सूजन) आ जाता था आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अल्लाह तआला ने आपके पिछले और अगले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया (फिर इतनी इबादत क्यों करते हैं) पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूं।

रमज़ान की इबादत के बारे में पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो शख्स रमज़ान के महीने में क़्याम (इबादत) करेगा अल्लाह तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। (सहीह बुखारी-३७)

रमज़ान के महीने में तरावीह की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ने का सवाब ज़्यादा मिलता है बल्कि प्रतिष्ठित एवं सुप्रसिद्ध ओलमा तरावीह की नमाज़ को जमाअत के साथ पढ़ने को ही अफज़ल (ज़्यादा बेहतर और सवाब वाला) क़रार देते

हैं लेकिन अकेले तरावीह की नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है।

सदक़ा ख़ैरात एक महानतम इबादत है इसकी बड़ी अहमियत और फज़ीलत है लेकिन रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा ख़ैरात करना चाहिए ''रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम खैर के मामले में काफी दानवीर थे जब कि रमज़ान के महीने में तेज व तुन्द हवाओं के समान अल्लाह के रास्ते में दान व खैरात करते थे।'' (सहीह मुस्लिम-२३०८)

फर्ज़ ज़कात की अदायगी साल के किसी भी महीने में की जा सकती है लेकिन सलफ सालिहीन फर्ज़ ज़कात की अदायगी का एहतमाम रमज़ान में करते थे।

साधारण सदक़ा खैरात की अदायगी कई तरह से की जा सकती है। गरीबों को खाना खिलाना भी सदक़ा खैरात में शामिल है। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगो सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, रिश्तेनाते दारी को जोड़ो, और जब लोग सो रहे हों ऐसे वक़्त में रात को क़्याम (इबादत) करो जन्नत में जाओगे। (सुनन इब्ने माजा-३२५१ शैख अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है।

रोज़ेदार को इफतार कराने का बहुत सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े रखने वालों को इफतार कराने का सवाब रोज़ा रखने के बराबर है और रोज़ेदार के सवाब में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। (सुनन तिर्मिजी-८०७ इस हदीस को शैख अलबानी ने सहीह क़रार दिया है।

इस्लाम ने पवित्र कुरआन की तिलावत पर काफी ज़ोर दिया है। रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में कुरआन की तिलावत का खूब एहतमाम करते थे। जिबरील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को रमज़ान के महीने में पूरा कुरआन पढ़ाया करते थे और उस रमज़ान में जिस रमज़ान के बाद आप पर कोई रमज़ान नहीं आया जिबरईल अलैहिस्सलाम ने आप को दो बार कुरआन पढ़ाया था।

कुरआन की तिलावत की फज़ीलत बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''जो कुरआन करीम के एक अक्षर की तिलावत करेगा उसे दस नेकी मिलेगी (सुनन तिर्मिज़ी २९१०, शैख अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है।)

कुरआन करीम की तिलावत के वक़्त चन्द बातों का पास व लिहाज (ध्यान) रखना चाहिए।

कुरआन की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए।

कुरआन की तिलावत के दौरान रोना।

कुरआन करीम को समझने की क्षमता प्राप्त करना

कुरआन की शिक्षाओं पर अमल करना

कुरआन के अनुसार अपना अक़ीदा (आस्था) बनाना

एतक़ाफ का ज़िक्र कुरआन हदीस में मौजूद है। अल्लाह ने कुरआन में फरमायाः व अन्तुम आकिफूना फिल मसाजिद'' (सूरे बक़रा १८७१

रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में एतकाफ़ करते थे।

सहीह बुखारी की रिवायत में है नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में दस दिनों का एतक़ाफ करते थे और उस साल जिस साल

आप का इन्तेकाल हुआ आप ने बीस दिनों का एतकाफ़ किया। (हदीस न० २०४४)

एतकाफ मुसतहब है और कभी भी कर सकते हैं जैसा कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से शव्वाल के महीने में भी एतकाफ़ करना साबित है इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहो अन्हो को रमज़ान के अलावा महीने में एतकाफ वाली नज्र पूरी करने का हुक्म दिया था जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो अन्हमा से रिवायत है। (सहीह बुखारी-२०४३)

रमज़ान के आखिरी दस दिनों का एतकाफ़ नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पाबन्दी के साथ करते थे इसलिये रमज़ान के आखिरी दस दिनों में एतकाफ की पाबन्दी करनी चाहिए। एतकाफ मस्जिद में करना चाहिए क्योंकि एतकाफ मस्जिद के अलावा जगह में करना साबित नहीं है।

एतकाफ किसी भी मस्जिद में कर सकते हैं एतकाफ के लिए जामे मस्जिद की शर्त लगाना सहीह नहीं है लेकिन सबसे अफज़ल एतकाफ़ मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़्सा का है फिर जामे मस्जिदों में, फिर किसी भी मस्जिद में और इस बारे में मर्द व औरत बराबर हैं क्योंकि रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आप के ज़माने में औरतें मस्जिदों में ही एतकाफ करती थीं।

एतकाफ के लिये मस्जिद के किसी एक कोने या हिस्से को अनिवार्य कर लेना ज़रूरी नहीं है बल्कि पूरी मस्जिद में एतकाफ के दौरान कहीं भी आ जा सकते हैं मस्जिद में आयोजित होने वाले तमाम दीनी व शरई प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं।

ज़रूरत पड़ने पर एतकाफ़ के दर्मियान ही एतकाफ को तोड़ा जा सकता है और इसका कोई कफ्फारा (प्रायिश्चित) नहीं है।

ईद का चांद निकलते ही एतकाफ से निकल सकते हैं।

रमज़ान के आख़िरी दस दिन बहुत खैर व बर्कत वाले हैं इसी आखिरी दस दिनों में लैलतुल क़द्र भी है जो मुबारक रात है और हज़ार महीनों से बेहतर है। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''यकीनन हम ने इसे शबे क़द्र में उतारा। तू क्या समझा कि शब्रे कद्र में क्या है? शबे क़द्र एक हज़ार महीनों से बेहतर है। इसमें हर काम को सर्अन्जाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूह (जिबरईल) उतरते हैं। यह रात सरासर सलामती की होती है और फज्र के तुलूअ् होने तक होती है।'' (सूरे क़द्र १-५)

इन आखिरी दस दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तेग्फार, जिक्र व अज़्कार और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इन रातों में खुद जागते और अपने परिवार वालों को भी जगाते थे।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कद्र की रात की तलाश की फज़ीलत के बारे में फरमायाः जो शख्स लैलतुल क़द्र का क़्याम करेगा उसके पिछले तमाम गुनाह मआफ़ कर दिये जाते हैं। (सहीह बुखारी १९०)

शबे क़द्र को पाने या उसका सवाब हासिल करने का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि आखिरी पूरे दस दिनों की तमाम रातों में इबादत की जाये खास तौर से रमज़ान के आख़िरी दिनों की ताक रातें (२१,२३,२५,२७,२९) अल्लाह की इबादत व बन्दगी में गुज़ारी जाएं।

कुरआन

प्रो डा० मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी

कुरआन अन्तिम ईश-ग्रन्थ है, जो अन्तिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर तेईस वर्षों के अन्तराल में उतरा। सबसे पहले तो यह नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के हृदय पर नक्श (अंकित) हो जाता था, फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बताने पर आपके साथी (सहाबा) याद कर लेते थे, और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ही की आज्ञा से इसको विभिन्न वस्तुओं पर लिख लिया जाता था। फिर जब अबू बक्र रजियल्लाहो अन्हों खलीफा बनाए गए तो उन्होंने विभिन्न चीज़ों पर लिखे हुए कुरआन के अंशों को इकटठा करवाया और एक ग्रन्थ के रूप में जमा कर दिया। फिर जब उस्मान खलीफा बने तो उन्होंने इसी ग्रन्थ की बहुत-सी प्रतियां बनवाईं और उन्हें पूरी इस्लामी दुनिया में भिजवा दिया। और आज तक उसी प्रति के अनुसार कुरआन प्रकाशित होता है। इस प्रकार अल्लाह तआला ने क़ियामत तक के लिए इसे परिवर्तित होने से बचा लिया और इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेते हुए फ़रमाया-

''निस्सन्देह कुरआन हमने ही उतारा है और निस्सन्देह हम ही उसके रक्षक हैं।'' (कुरआन, सूरा-१५ अल-हिज्र, आयत-९)

कुरआन अब संसार में एकमात्र ईश्वरीय ग्रन्थ है, जो अब तक सुरक्षित है और क़ियामत तक सुरक्षित रहेगा। इससे पूर्व जो ग्रन्थ उतरे थे, उनमें बहुत कुछ फेर-बदल हो चुके हैं।

कुरआन जब पहले-पहल लिखा गया तो उसमें मात्राएं (आराब) नहीं थीं। क्योंकि अरबी भाषियों को इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब इस्लाम अरब से निकलकर अजम तक फैल गया और अजमियों को मात्राओं के बिना कुरआन पढ़ने में कठिनाई होने लगी तो उस समय के खलीफ़ा अब्दुल मलिक बिन मरवान (जो सन ६५ हिजरी में खलीफा बने) ने एक भाषा विद अबुल-असवद दुवली (जिनका देहान्त सन ६९ हिजरी में हुआ) को आदेश दिया कि वे कुरआन में मात्राएं लगा दें ताकि पढ़ने में गलतियां न हों। इस प्रकार अल्लाह ने कुरआन को ग़लत पढ़ने से भी बचा लिया। फिर जब प्रिंटिंग प्रेस आ गईं तो कुरआन संसार के कोने-कोने से प्रकाशित होने लगा। इस समय कुरआन का सबसे बड़ा प्रिंटिंग प्रेस मदीना (सऊदी अरब) में है। उसका नाम शाह फहद कुरआन प्रेस संस्थान है, जिसकी स्थापना ३० अक्तूबर, १९८४ में हुई, जहां से सन २००० ई० तक कुरआन की डेढ़ करोड़ से भी अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी थीं। इसी प्रकार उस संस्थान से सन १९९९ ई० तक निम्नलिखित २९ भाषाओं में कुरआन का अनुवाद प्रकाशित हो चुका था।

उर्दू, स्पेनिश, अलबीनी, इंडोनेशियाई, अंग्रेज़ी, अन्को, उरामी, इगेरिया, बराहोइया, पश्तो, बंगाली, बर्गी, बुस्ती, तमिल, थाइलैंड, तुर्की, जूलो, सोमाली, चीनी, फारसी, फ्रांसीसी, काज़ाकी, कश्मीरी, कोरी,

मक्दूनी, मलेबारी, होसा, पूरबा और यूनानी।

किसी धार्मिक ग्रन्थ के विषय में कोई राय बनाने तथा उसे स्वीकार करने से पहले यह देखना चाहिए कि वह स्वयं अपने विषय में क्या कहता है। कुरआन अपने विषय में कहता है।

१. यह अल्लाह की ओर से उतारा गया है।

''ऐ नबी कहो यह कुरआन मेरी ओर वह्य किया गया है, ताकि मैं इसके द्वारा तुम्हें और जिस तक यह पहुंचे सबको सचेत करूं।'' (सूरा-६, अल-अनआम, आयत-१९)

''ऐ नबी हम ही ने अत्यंत व्यवस्थित ढंग से तुम पर कुरआन उतारा।'' सूरा-७६, अद दहर, आयत-२३

''क्या इन लोगों के लिए यह काफी नहीं है कि हमने तुम पर किताब उतारी, जो इन्हें पढ़कर सुनाई जाती है। निश्चय ही इसमें ईमानवालों के लिए दयालुता तथा अनुस्मृति है।'' (सूरा-२९, अल-अनकबूत, आयत-५१)''यह किताब हमने तुम्हारी ओर सत्य के साथ उतारी है, अतः तुम अल्लाह ही की इबादत (उपासना) करो, धर्म को उसके लिए विशुद्ध करते हुए।'' (अर्थात उपासना में उसके साथ किसी को साझी न बनाओ) (सूरा-३९, अज़-जुमर, आयत-२)''इस कुरआन की तुम्हारी ओर प्रकाशना करके, इसके द्वारा हम तुम्हें एक बहुत ही अच्छा बयान सुनाते हैं, यद्यपि इससे पहले तुम बेखबर थे''। (सूरा-१२, यूसुफ आयत-३)

''हमने तुम्हें बार-बार दोहराने वाली सात आयतें तथा यह कुरआन दिया।'' (सूरा-१५, अल-हिज्र, आयत-८७)''तुमको कुरआन, जो तत्वदर्शी तथा ज्ञानवाला है, अल्लाह की ओर से दिया जा रहा है।'' (सूरा-२७, अन-नम्ल, आयत-६)

इससे पता चलता है कि कुरआन अल्लाह की किताब है। इस समय संसार में कुरआन के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रन्थ नहीं है जो स्पष्ट रूप से अल्लाह की किताब होने का दावा कर सके, बल्कि अल्लाह ने तो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को भी चेतावनी दी है कि अगर तुमने अपनी ओर से कोई बात कुरआन से संबद्ध करके कहने की कोशिश की होती तो हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेते, और तुम्हारी गर्दन की रग काट देते। (सूरा-६९, अल-हाक्क़ा, आयत-४५)

इससे मालूम हुआ कि पूरा कुरआन अल्लाह की ही ओर से है। इसलिए एक स्थान पर तो कुरआन ने यह दावा भी किया कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं वह वह्य के द्वारा ही कहते हैं। (कुरआन, सूरा-५३, अन-नज्म, आयत-३)

कुरआन एक चमत्कार

२. कुरआन एक ऐसा चमत्कारपूर्ण ग्रंथ है कि समस्त मनुष्य मिलकर भी वैसा ग्रन्थ नहीं ला सकते। ''कह दो यदि मनुष्य और जिन्न इसके लिए इकटठा हो जाएं कि इस कुरआन जैसी कोई चीज़ लाएं तो वे इस जैसी कोई चीज़ न ला सकेंगे। चाहे वे परस्पर एक दूसरे के सहायक ही क्यों न बन जाएं।'' (सूरा-१७, बनी इसराईल, आयत-८८)

कुरआन ने यह चैलेंज उन लोगों को किया था जो अपने आपको अरबी भाषा का महान विद्वान समझते थे। उनके मुकाबले में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। फिर भी वे कहते थे कि यह सब मुहम्मद अपनी ओर से लाते हैं। इस पर

कुरआन में यह चैलेंज किया गया कि तुम और जिन्न मिलकर भी क्या ऐसा कुरआन ला सकते हो? उत्तर यही रहा कि नहीं ला सकते।

फिर कुरआन ने केवल दस सूरतें लाने के लिए चैलेंज किया।

''क्या वे कहते हैं उसने इसे स्वयं गढ़ लिया है। कह दो, अच्छा तुम इस जैसी गढ़ी हुई दस सूरतें ले आओ, और अल्लाह के अतिरिक्त जिस किसी को चाहो बुला लो, यदि तुम सच्चे हो।'' (सूरा-११, हूद, आयत-१३)

जब वे दस सूरतें लाने में भी असफल रहे तो फिर कुरआन ने केवल एक सूरा लाने का चैलेंज किया।''यदि तुम उस चीज़ के विषय में, जो हमने अपने बन्दे पर उतारी है, संदेह में हो तो उस जेसी एक सूरा लाकर दिखा दो, और अल्लाह के अतिरिक्त तुम जिसे चाहो अपनी सहायता के लिए बुला लो, यदि तुम सच्चे हो।'' (सूरा-२, अल-बक़रा, आयत२३)

लेकिन वे इस चैलेंज का भी जवाब न दे सके। इससे कुरआन का महा चमत्कार होना और अल्लाह की ओर से वह्य होना भी, सिद्ध हो गया।

कुरआन की विशेषता

३. कुरआन में शिफा (आरोग्य) और रहमत (दयालुता) है।

''हम जो कुरआन में उतारते हैं इसमें ईमान लाने वालों के लिए शिफ़ा (आरोग्य) और दयालुता है, ओर अत्याचारियों के लिए उसमें घाटा ही घाटा है।'' (सूरा-१७, बनी इसराईल, आयत-८२)

अर्थात कुरआन हर प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक रोगों से मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए आवश्यक है कि उस पर ईमान लाया जाए, हृदय में उसे बसाया जाए, उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। जो लोग उस पर ईमान नहीं लाते, बल्कि उसके ईश्वरीय होने को झुठलाते हैं ऐसे लोगों के लिए घाटा ही घाटा है, न तो वे संसार में उससे कोई लाभ उठा सकेंगे, न प्रलय के दिन। इस प्रकार इसके द्वारा वे न तो अपने हृदय का रोग दूर कर सकेंगे और न शरीर का। कुरआन में आया है।

''और जब कोई सूरा उतारी जाती है तो कुछ लोग यह पूछते हैं कि इस सूरा ने तुममें से किसके ईमान को बढ़ाया? तो जो लोग ईमान लाए इस सूरा ने उनके ईमान को बढ़ाया है और वे प्रसन्न हो उठे, और जिनके हृदयों में रोग है इस सूरा ने उनके रोग को और बढ़ा दिया और वह कुफ़्र की अवस्था में ही मर गए।'' (सूरा-९, अत-तौबा, आयतें-१२४-१२५)

कुरआन की भाषा

४. कुरआन को अल्लाह ने अरबी भाषा में उतारा, क्योंकि यह जिस पर उतारा गया था वे अरबी भाषी थे। उनके प्रथम संबोधित भी अरबी भाषी लोग ही थे। इसलिए किसी और भाषा में यह उतारता तो उन लोगों को इसे समझने और स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई होती।

''और इसी प्रकार ऐ नबी! हमने तुम्हारी ओर अरबी में कुरआन वह्य किया।'' (सूरा-४२, अश-शूरा, आयत-७)''यदि हम इसे ग़ैर-अरबी कुरआन बनाते तो वे लोग कहते, ''इसकी आयतें क्यों नहीं (हमारी भाषा में) खोल-खोल कर बयान की गईं? यह क्या कि वाणी तो ग़ैर अरबी है और व्यक्ति अरबी?'' (सूरा-४१, हा-मीम अस-सजदा, आयत-४४)

''यह वह पुस्तक है जिसकी आयतें खोल-खोल कर बयान हुई हैं, अरबी कुरआन के रूप में उन

लोगों के लिए जो जानना चाहें''। (सूरा-४१, हा-मीम अस-सजदा, आयत-३)

यहां यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आये उनको उन्हीं की भाषा में किताब दी गयी। इसलिए नबी मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को अरबी में कुरआन देना इसी नियम की कड़ी है।

कुरआन की महानता

५. कुरआन इस पृथ्वी पर अल्लाह का कलाम (वाणी) है, जिसमें उसने पृथ्वी पर रहने वाले मुनष्य की ज़िम्मेदारियों तथा अधिकारों को खोल-खोल कर बयान किया है, ताकि वे लोग और परलोक दानों में सफल रहें, परन्तु देखने में यही आया है कि वे इन सब बातों से निश्चिन्त पड़े हुए हैं। जबकि कुरआन की महानता और गरिमा यह है कि अगर पर्वत जैसी महान वस्तु में भी प्राण होते और उसको कुरआन दिया जाता तो वह कांपने लगता।

''अगर हम कुरआन को किसी पहाड़ पर उतारते तो तुम उसको देखते कि वह अल्लाह के भय से फटा जा रहा है। और ये बातें हम लोगों के लिए इसलिए बयान करते हैं ताकि वे विचार करें।'' (सूरा-५९, अल-हश्र, आयत-२१)

ऐसे महान कुरआन का मनुष्यों ने आदर नहीं किया, इसलिए प्रलय दिवस को नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम यह शिकायत करेंगे।

''रसूल कहेगा, ऐ रब! निश्चय ही मेरी जातिवालों ने इस कुरआन को छोड़ रखा था।'' (सूरा-२५, अल-फुरकान, आयत-३०)

कुरआन सबके लिए

६. कुरआन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी शिक्षाएं संसार में रहने वाले सारे मनुष्यों के लिए हैं। इसी लिए कुरआन बार-बार यह कहकर सम्बोधित करता है, ऐ लोगो ऐ मनुष्यो-

''ऐ लोगो, अपने उस रब की बन्दगी करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, ताकि तुम उसकी यातना से बच सको।'' सूरा-२, अल-बक़रा, आयत-२१)

''ऐ मनुष्य! किस चीज़ ने तुझे अपने उदार रब के बारे में धोखे में डाल रखा है?'' (सूरा-८२, इनफ़ितार, आयत-६)

इस समय संसार में यह एकमात्र धर्मग्रंथ है, जो पूरी मानव-जाति को सम्बोधित करता है कि वह इसकी शिक्षाओं को अपनाए और उनपर चले। इसलिए यह कहना ग़लत है कि यह किसी जाति विशेष की धार्मिक पुस्तक है यह तो हर उस व्यक्ति की धार्मिक पुस्तक है जो इसे अपना ले।

कुरआन में बड़े ही स्पष्ट रूप से अल्लाह ने बताया है।

''ऐ मुहम्मद हमने तो तुम्हें सारे ही मनुष्यों के लिए शुभ-सूचना देने वाला तथा सचेत करने वाला बनाकर भेजा है, परन्तु अधिकतर लोग जानते नहीं।'' (सूरा-३४, सबा, आयता-२८)

पवित्र कुरआन शुभसूचना देनेवाला उनके लिए है, जो इसके आदेशों का पालन करते हैं और सचेत करने वाला उनके लिए है जो इसे ठुकरा दें। यह कहना ठीक नहीं कि कुरआन में जो कुछ आया है उससे मेरा क्या सम्बन्ध? ये वे लोग हैं जो कुरआन की वास्तविकता को समझते नहीं, बस इनके लिए परलोक में यातना ही यातना है। और ग्रहण करने वालों के लिए स्वर्ग और उसकी नेमतें।

(कुरआन मजीद की इन्साइक्लो पीडिया'' से पृष्ठ १९५-२०१)

वक़्त अल्लाह की बड़ी नेमत है

कबीरूल इस्लाम

वक़्त अल्लाह की एक बड़ी नेमत है इसका एक एक सेकन्ड और मिनट इतना कीमती है कि पूरी दुनिया वक़्त की कीमत नहीं अदा कर सकती लेकिन आज हम वक़्त की क़द्र नहीं करते बल्कि यूं ही वक़्त को फ़ुजूल कामों में बर्बाद कर देते हैं देखते देखते बड़ी तेज़ी से महीने और साल गुज़र जाते हैं। एक कवित ने कहा

सुबह हुई शाम हुई
उम्र यूं ही तमाम हुई

वक़्त की कद्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वक़्त बर्बाद करने के बाद जो अफसोस और पछतावा होता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती।

जो छण हाथ से निकल जाता है वह दुबारा हाथ नहीं आ सकता। कहने वाले ने कहा है कि वक़्त सोना से भी ज़्यादा क़ीमती है इसलिये वक़्त की हिफाज़त करनी चाहिए, बेकार बातों में कीमती वक़्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि वह फालतू चीज़ों को छोड़ दे। इस हदीस में वक़्त की हिफाज़त और वक़्त को बर्बाद करने से रोका गया है और ऐसे कामों से मना किया गया है जिस का कोई भायदा न हो।

हमारे पूर्वजों की ज़िन्दगी में वक़्त की कद्र करने की बड़ी ललक थी, उनका कोई छण (लम्हा) बर्बाद नहीं होता था इसी लिये वह महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गये और विशिष्ट मक़ाम हासिल कर लिया।

हाफिज़ इब्ने हजर रह० के बारे में आता है कि वह वक़्त के बहुत कद्रदां थे किसी वक़्त खाली नहीं बैठते थे किसी न किसी काम में व्यस्त रहते थे।

इमाम राज़ी रह० के नज़दीक वक़्त की अहमियत इतनी ज़्यादा थी कि खाने में जो वक़्त लग जाता था उस पर भी अफसोस करते थे। वह फरमाते थे अल्लाह की क़सम मुझको खाने के वक़्त इल्मी काम के छूट जाने पर अफसोस होता है क्योंकि वक़्त बहुत कीमती पूंजी है।

अल्लामा इब्ने कैइम रह० फरमाते हैं कि मैंने १३ साल की उम्र में पहली किताब लिखी। इब्ने कसीर रह० इब्ने जरीर तबरी रह० के बारे में लिखते हैं कि वह लगातार चालीस साल तक लिखते रहे और रोजाना चालीस पन्ने लिखते थे। अल्लामा सुयूती रह० ने तफसीर जलालैन को २० साल की उम्र में सिर्फ चालीस दिनों में लिखा।

कहने का मतलब यह है कि जिस तरह इन्सान पर उसके अपने निजी अधिकार हैं समाजी और मानवीय अधिकार हैं इसी तरह वक़्त के भी इस पर कुछ अधिकार हैं। एक अधिकार यही है कि वक़्त को फालतू कामों में न खर्च किया जाए और वक़्त का दूसरा अधिकार यह है कि इस का सहीह स्तेमाल किया जाए। बहुत से लोग वक़्त गुज़ारी करते हैं या यूं ही कह देते हैं कि वक़्त गुज़ार रहे हैं जबकि यह दोनों चीज़ें हानिकारक हैं क्योंकि वक़्त गुज़ारना कोई चीज़ ही नहीं बल्कि असल में वक़्त का सहीह स्तेमाल है वक़्त गुज़ारी किसी बेमकसद काम के लिये होती है लेकिन वक़्त का स्तेमाल किसी उददेश्य के लिये होता है। अल्लाह हम सबको वक़्त की कद्र करने की क्षमता दे।

महिला का आदर्श चरित्र

डा0 मुक़तदा हसन अज़हरी

इस्लाम की विशेषता तथा प्रचार एवं स्थायित्व का एक रहस्य यह भी है कि इसकी शिक्षाओं तथा दृष्टिकोण के पीछे इस्लाम के पैगम्बर (दूत) स० तथा उनके अनुयायियों का व्यवहारिक जीवन एवं साफ-सुथरा चरित्र उपस्थित है। इस्लाम ने जिन बातों की शिक्षा दी उन्हें व्यवहारिक रूप में नबी स० ने करके दिखाया। सहाबा कराम रजियल्लाहो अन्हुम तथा बाद के लोगों ने उन्हीं का अनुसरण किया। इस्लाम ने स्पष्ट बता दिया कि बिना व्यवहारिक रूप (कर्म) किये मुक्ति की कल्पना करना व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति प्रलय (न्याय दिवस) में अपने कर्मानुसार प्रतिफल पायेगा तथा किसी का बोझ कोई दूसरा नहीं उठायेगा और न ही किसी के पुण्य का लाभ कोई अन्य पायेगा। कोई कितना ही निकटवर्ती क्यों न हो इस सम्बन्ध में कोई किसी के काम नहीं आयेगा।

इस्लाम ने इस विश्वास की शिक्षा इस प्रकार दी कि व्यवहार का महत्व तथा आवश्यकता मुसलमानों के हृदय में बैठ गई। उन्होंने क्षमता की सीमाओं में स्वयं को सुकर्म से सम्बद्ध रखा तथा सदैव इस्लामी शिक्षाओं के पालन का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक युग में मुसलमानों के अच्छे कार्य तथा उत्तम चरित्र के उदाहरण सामने आये। जिनसे सत्य की खोज करने वालों को मार्ग दर्शन तथा साहस मिला। हम निम्नलिखित में उत्तम चरित्र की कुछ शिक्षाओं तथा उसके व्यवहार के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि महिलायें इन उदाहरणों को देखकर स्वयं भी आदर्श बनने का प्रयास करें।

ईमानी बसीरत (आस्था की अन्तर्दृष्टि)

पुरूष तथा महिला दोनों के लिये संयमी जीवन की आवश्यकता है, परन्तु महिला की पवित्रता का समाज सुधार में अधिक योगदान रहा है। 'सहीहैन' की एक विस्तापूर्वक हदीस में बनी इस्राईल के उन तीन व्यक्तियों की घटना का वर्णन है जो एक गुफा में फंस गये थे, उस गुफा से मुक्त होने हेतु सभी ने अपने अच्छे व्यवहार का सन्देश देते हुए अल्लाह तआला से दुआ (प्रार्थना) किया कि उन्हें इस गुफा से निकाल दे। उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी उस घटना को बयान करते हुए कहा कि उसे अपने चाचा की लड़की से प्रेम था, वह चाहता था कि उनसे वह अपनी काम वासना की तृप्ति करे। एक बार अकाल पड़ जाने पर वह स्त्री कुछ पैसे के लिए उसके पास आई। उसने उस स्त्री को इस शर्त पर १२० दीनार दिए कि वह स्वयं को उसे समर्पित कर दे, विवशता के कारण उसने स्वीकार कर लिया, परन्तु जब वह व्यक्ति उसके साथ बुराई के लिए तैयार हुआ तो उस स्त्री ने अल्लाह को साक्षी बनाकर उसे बुराई से दूर रहने को कहा। उस महिला के उपदेश से वह प्रभावित हो गया तथा उसे छोड़ कर अलग हो गया। (अर्थात उसने अल्लाह के भय से व्यभिचार नहीं किया)

हदीस में वर्णित इस घटना से मुस्लिम महिला की अन्तःदृष्टि तथा

संयम की शिक्षा मिलती है। ईश्वर (खुदा) का भय तथा क्यामत (प्रलय) में जवाबदेही की ऐसी ही भावना यदि आज मुस्लिम महिलाओं में उत्पन्न हो जाये तो समाज से बुराइयों की समाप्ति हो सकती है तथा सभी लोग मान मर्यादा की सम्पन्नता से लाभान्वित हो सकते हैं।

पुण्य की खोज

ईमान की मांग है कि मनुष्य कार्य की लालच करे तथा सदैव पुण्य की ओर लपके। नबी स० के युग में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि सहाबा सहाबिया (हज़रत मुहम्मद स० के समकालीन उनके सहयोगी पुरूष तथा महिलायें) नबी स० के दरबार में आकर पुण्य कार्यों का विस्तारपूर्वक पता लगाते थे ताकि उन पर व्यवहार करके अपना परलोक सुधारें। पुरूषों के समान महिलाओं में भी यह भावना तथा लगन पाई जाती थी।

त्याग तथा दान

नबी स० की हदीसों में महिलाओं को जिन पुण्य कार्यों की शिक्षा दी गई है उसमें त्याग तथा दान का अति महत्व है। इस्लाम ने सामूहिक रूप से अपने सभी आदेशों में मानवीय सम्मान, सदव्यवहार तथा त्याग एवं दान और बलिदान पर विशेष बल दिया है। इस्लाम की दुष्टि में दया का पात्र मात्र मनुष्य ही नहीं वरन सभी प्राणी हैं। इस प्रकार की शिक्षाओं पर उसी समय व्यवहार हो सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति पुण्य कार्य को आवश्यक समझे, तथा अन्य की सुख सुविधा के लिये तन, मन, धन का त्याग करे।

दान तथा खैरात के सुझाव द्वारा इस्लाम, समाज को सुखी तथा आज्ञाकारी बनाना चाहता है तथा इसके लिये उसने महिलाओं को भी सम्बोधित किया है।

एक हदीस में नबी स० ने कहा है कि

''महिलाओं! दान करो, क्योंकि मैंने नरक में तुम्हारी संख्या अधिक देखी है''। (अल बुखारी मअल फत्ह ४०१/१)

एक बार असमा बिन्त अबू बक्र रजियल्लाहो अन्हा ने नबी स० से कहा कि मेरे पास दान तथा खैरात के लिये धन और माल नहीं है, मेरे पास जो कुछ है मेरे पति जुबैर बिन अव्वाम का है। नबी स० ने कहा

अनुवाद-रूपये पैसे वाली थैली को तुम बांध कर मत रखो वरन ईश्वर भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। (अल बुखारी मअल फत्ह ३०१/३)

उम्मे बजीद कहती हैं कि हे रसूलुल्लाह स० मेरे द्वार पर गरीब खड़ा रहता है, परन्तु मेरे पास उसे देने को कुछ भी नहीं है। आप स० ने कहा कि कुछ न मिले तो जला हुआ खुर ही दे दो। अभिप्राय यह है कि मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं करना चाहिए।

इस्लामी इतिहास में उम्महातुल मोमिनीन (मोमिनों की माएं अर्थात नबी स० की पत्नियां) तथा अन्य महिलाओं के हालात का अध्ययन करने से अनुमान होता है कि मुस्लिम महिलाओं ने त्याग, बलिदान तथा दान का महान कीर्तिमान स्थापित किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रजियल्लाहो अन्हा ने अपना सारा धन, सम्पत्ति नबी स० को भेंट कर दी थी, कि आप स० जिस प्रकार चाहें खुदा के रास्ते में खर्च करें।

हज़रत आईशा रज़ियल्लाहो अन्हा को हज़ारों दिर्हम मिलते थे,

परन्तु आप उसमें से कुछ भी अपने लिए नहीं रखती थीं सब गरीबों में बांट देती थी। रोज़ा रहतीं तो इफ्तार करने तक को उनके पास कुछ नहीं होता था, कपड़ों में जोड़ (पेवन्द) लगाकर पहनती थीं, जो भी पैसा मिलता सब गरीबों को ही दे देती थीं अपने लिए नये कपड़े तक नहीं खरीदती थीं।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहो अन्हा गरीबों तथा निर्धनों का बहुत ध्यान रखती थीं। इसीलिए उन्हें गरीबों की मां के नाम से सम्बोधित किया जाता था। एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहो अन्हो ने उनके हिस्से की रकम बारह हज़ार दिर्हम भेजा उन्होंने सारा धन गरीबों में बांट दिया। हज़रत उमर रजियल्लाहो अन्हो को सूचना मिली तो हज़ार दिर्हम और भेजा, परन्तु उसे भी उन्होंने गरीबों में बांट दिया।

इतिहास में अब्बासी खलीफा हारून रशीद की पत्नी जुबैदा अपने समय की प्रसिद्ध दानी महिला थीं, इतिहास में इतनी दानी महिला का वर्णन नहीं मिलता। अरब के मक्का नगर में जहां पानी की त्राहि-त्राहि मची रहती थी, इसी ऐतिहासिक महिला ने अपने नाम की नहर बनवाकर उस रेगिस्तान में पानी की व्यवस्था की ताकि प्रत्येक वर्ष हज के लिये आने वाले हाजियों को पानी के लिये कष्ट न हो। यह कार्य ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस नहर की खुदाई में जब व्यय के विषय में महारानी को लोगों ने बताया तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि फावड़े के प्रत्येक वार पर यदि एक दीनार भी खर्च आयेगा तो भी इस कार्य को करना है।

शिक्षा तथा उलमा के संरक्षण से सम्बन्धित अनेकानेक घटनायें इतिहास के पन्नों में सुरक्षित हैं जिससे अनुमान होता है कि मुस्लिम महिलाओं ने इस पहलू की भी उपेक्षा नहीं की है। मलिक मुजफ्फर (७०६ हि०) की पत्नी तथा पुत्री ने अनेकों मदरसे तथा छात्रावास का निर्माण कराया और उसके व्यय तथा छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु कोष की स्थापना की।

उपकार तथा सदव्यवहार की प्रेरणाः अब्दुल्लाह बिन मसऊद की पत्नी सकफिया रज़ियल्लाहो अन्हा का कथन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा है, महिलाओं! दान करो चाहे अपने जेवर से, ज़ैनब कहती हैं कि यह सुनकर मैं घर आई तथा अपने पति अब्दुल्लाह से कहा कि आपका हाथ तंग है (अर्थात आप निर्धन हैं) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को दान करने का आदेश दिया है, आप जाइये और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से मालूम कीजिए कि मैं आप के माल को दान कर सकती हूं कि नहीं? अब्दुल्लाह ने कहा कि तुम स्वयं ही जाकर पूछ आओ। जैनब नबी स० के पास आयीं तो देखा कि अंसार की एक महिला इसी बात को पूछने के लिए नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के द्वार पर खड़ी हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहो अन्हो घर में से निकल कर आये तो दोनों महिलाओं ने उनसे कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से मालूम कीजिए कि हम अपने पतियों तथा अपने संरक्षण में रहने वाले अनाथ बच्चों पर दान का माल व्यय कर सकती हैं? नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उत्तर में कहा कि हां तुम्हें इसका दुगना पुण्य मिलेगा एक दान का तथा दूसरा उपकार का। (बुखारी ३२८१३)

(प्रेस रिलीज़)

मर्कज़ी जमीअत के हिन्दी आर्गन मासिक इस्लाहे समाज के सम्पादक एडवोकेट एहसानुल हक़ का इन्तेकाल

नई दिल्ली २३ फरवरी २०२१

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के हिन्दी आर्गन मासिक इस्लाहे समाज के संपादक और मेरठ की प्रसिद्ध ज्ञानात्मक व समाजी हस्ती एडवोकेट एहसानुल हक़ के इन्तेकाल पर गहरे रंज व गम का इज़हार किया है और उनकी मौत को जमाअत व समुदाय का बड़ा ख़सारा क़रार दिया है।

सम्माननीय अमीर ने कहा कि एडवोकेट एहसानुल हक़ साहब अत्यंत विनम्र, चरित्रवान, दीनदार, नमाज़ व रोज़े के पाबन्द थे। एक लम्बी मुददत तक पठन-पाठन से जुड़े रहे और दारूल हदीस खनदक बाज़ार मेरठ में शिक्षा प्रशिक्षण का कर्तव्य निभाते रहे। आपने वकालत की डिगरी हासिल की थी जिससे वह समाज को सहीह कानूनी मश्वरा देते थे और उत्पन्न समस्याओं में लोगों का निस्वार्थतः मार्गदर्शन करते थे। एक कानून विद होने की हैसियत से और इस्लामी स्वभाव रखने की वजह से समाज में सम्मान की निगाह से देखे जाते थे। शहर और एलाके की प्रतिष्ठित सभाओं और सूसाइटियों के सदस्य भी थे और उनका नेतृत्व भी करते थे। आप अपने एलाक़े की प्रमुख हाउसिंग सूसाइटी के अध्यक्ष भी थे। नगर निगम मेरठ में रोज़गाररत थे। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के तईं भलाई का जज़बा रखते थे और नेक मश्वरे भी देते थे। आप मासिक इस्लाहे समाज के शुरू ही से संम्पाक थे। आखिर तक इस पद पर विराजमान रहे और अपनी विभिन्न व्यस्तताओं की वजह से संपादकीय जिम्मेदारियों के हवाले से निजी तौर पर सक्रिय भूमिका निभाने से माजूरी के बावजूद अपने हर तरह के नेक और मुख्लिसाना मश्वरों और दुआओं से भी नवाज़ते थे और महत्वपूर्ण कामों में प्रोत्साहन और मदद लेने की पेशकश बड़ी खुशदिली से करते थे। जमीअत और मासिक इस्लाहे समाज के किसी भी काम के लिये तैयार रहते थे पिछले वर्ष एक समारोह में अचानक मुलाक़ात होने पर इस्लाहे समाज और जमीअत के अन्य आर्गन और उसकी सेवाओं को सराहते हुए बड़ा प्रोत्साहन किया।

अफसोस कि २२ फरवरी २०२१ सोमवार को साढ़े नौ बजे रात में लगभग ७७ साल की आयु में हृदय गति रुक जाने से इन्तेकाल हो गया, अफसोसनाक बात यह भी है कि चन्द दिनों पहले आप की बीवी का भी इन्तेकाल हो गया था जिस का आप को बेहद सदमा था। आज सुबह दस बजे मेरठ के पुराने कबरस्तान बाले मियां में तदफीन हुई जनाजे की नमाज सूबाई जमीअत पश्चिमी यूपी के पूर्व अमीर हाफिज़ सुलैमान मेरठी ने पढ़ाई जिसमें शहर और उसके आस पास की प्रतिष्ठित हस्तियों ने बड़ी तादाद में शिर्कत की। पसमाँदगांन में दो लड़के पोते पोतियां और भरापूरा खानदान है। अल्लाह उनकी मग्फिरत फरमाये उनकी दीनी व इल्मी खिदमात को कुबूल फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे पसमांदगान को सब्र दे और जमीअत व जमाअत को उनका अच्छा विकल्प दे। आमीन

क्षमा और कृपा

काज़ी मुहम्मद सुलैमान सलमान मनसूर पूरी रह०

क्षमा उस वक़्त मानी जाती है जब अपराध साबित हो जाए और अपराधी को सज़ा देने की ताक़त हासिल हो फिर मआफी दी जाए।

कृपा के अर्थ में देना, प्रोत्साहन करना भी शामिल है यह चीज़ क्षमा के बगैर भी पाई जाती है और क्षमा के साथ भी और उस वक़्त इसकी शान (गरिमा) और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम में क्षमा के साथ कृपा का भी गुण पाया जाता था।

सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ियल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि एक देहाती ने आकर पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की चादर को ज़ोर से खींचा जिस की वजह से चादर का किनारा हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की गर्दन में खुब गया और निशान पड़ गया वह देहाती बोला ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम यह दो ऊंट मेरे हैं, उनकी लाद का कुछ सामान मुझे भी दे दो क्यों कि जो माल तुम्हारे पास है वह न तुम्हारा हे न तुम्हारे पिता का।

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम चुप हो गये और फरमाया कि माल तो अल्लाह का है और मैं उसका बन्दा हूं फिर पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने देहाती से पूछा, जो व्यवहार तुम ने मुझसे किया है तुम इस पर डरते नहीं हो? देहाती ने कहाः नहीं, पैगम्बर मुहम्द सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों? देहाती ने जवाब दिया मुझे मालूम है आप बुराई के बदले बुराई नहीं किया करते। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हंस दिये और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस देहाती को एक ऊंट के बोझ के जौ और एक ऊंट की खुजूरें दी जाएं।

हुजूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को जैद बिन सअ्ना यहूदी का कर्ज़ देना था वह मांगने के लिये आया हुजूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के कंधे की चादर उतार ली और कुर्ता पकड़ कर सख्ती से बोला कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद बड़ी ना दहिन्द (लेकर वापस न देने वाली) है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने इसे झिड़का और सख्ती से जवाब दिया। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे इसके बाद हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहे तआला अन्हो से फरमायाः उमर! तुम को मुझ से और उससे और तरह का बर्ताव करना था तुम मुझ से कहते कि अदायगी। (भुगतान) होना चाहिए और उस (देहाती) को सिखाते कि तक़ाज़ा अच्छे शब्दों में करना चाहिए।

फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ज़ैद (यहूदी) से कहा कि अभी तो वादा में तीन दिन बाक़ी हैं।

फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहो अन्हो से फरमायाः जाओ इसका कर्ज़ अदा करो और बीस साअ् ज़्यादा देना क्योंकि तुम ने इस देहाती को झिड़का भी था। (बैहक़ी)

हज़रत अनस रज़ियल्लाहो तआना अन्हो बयान करते हैं कि तनईम पहाड़ से ८० लोग नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के एरादे से उतरे थे। इन लोगों ने आप को कत्ल के लिये सुबह की नमाज़ के वक़्त का चुनाव किया था (जिस में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम लम्बी क़िरत पढ़ा करता थे) वह आए और पकड़े

गये नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सबको छोड़ (क्षमा) कर दिया। (सहीह मुस्लिम, अबूदाऊद, तिर्मिज़ी, नेसई)

जब अबू सुफियान रज़ियल्लाहो अन्हो गिरफतार हुए तो हुजूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अत्यंत करूणा व नर्मी से उनसे बात की और फरमायाः अफसोस, अबू सुफियान अभी वक़्त नहीं हुआ कि तुम इतनी बात समझ जाओ कि अल्लाह के सिवा और कोई भी इबादत के लायक़ नहीं। अबू सुफियान रज़ियल्लहो अन्हो ने कहाः मेरे माँ बाप हुजूर पर क़ुरबान आप कितने संजीदा, कितना ज़्यादा रिश्तेदारी का हक़ अदा करने वाले और कितना ज़्यादा दुश्मनों को क्षमा और उन पर कृपा करने वाले हैं।

एक यहूदी औरत जैनब बिन्ते हारिस बिन सलाम ने गोश्त में जहर देकर पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को खिला दिया इस औरत ने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया फिर भी मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी औरत को मआफ कर दिया। (रह्मतुल लिल आलमीन से, पृष्ठ ३३४-३३५)

❑ ❑ ❑

एलाने दाख़िला

(मदारिस से फ़ारिग़ तलबा के लिए)

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के जेरे एहतमाम अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में स्थापित उच्च शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्था अलमाहदुल आली लित तख़स्सुस फ़िद दिरासातिल इस्लामी

में नये तालीमी कलैण्डर के अनुसार इस साल नये सत्र के लिये एडमीशन जारी है। अपना अनुरोध पत्र व सनद की फोटो कापी इस पते पर भेजें। और दाख़िला इमतिहान की तारीख़ का इन्तेज़ार करें।

अधिकृत जानकारी के लिये संपर्क करें।

अहले हदीस कम्पलैक्स डी.254 अबुल फजल इन्कलेव
जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025
फोन 011-26946205 , 011-23273407
Mob. 9213172981, 09560841844
शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

हत्या हराम है

एन. अहमद

दुनिया में हत्या का साधारण हो जाना नैतिकता का पतन है, किसी को भी सजा देने का अधिकार अदालत को है, कानून को हाथ में लेना कानून का अपमान है और अपराध भी। दिन ब दिन हत्याओं की तादाद बढ़ती जा रही है, मामूली घरेलू झगड़ का अन्त भी हत्या पर होने लगा है यह पूरे मानव समाज के लिये चिन्ता का विषय है। हत्याओं का साधारण होना यह दर्शाता है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और कहीं न कहीं वह कारण ज़रूर है जिस के जिम्मेदार स्वार्थी और रास्ते से भटके इन्सान हैं।

हत्या की कई वजह हो सकती है लेकिन सब से बड़ी वजह अंधे भौतिकवाद और ताक़त के गलत स्तेमाल को करार दिया जा सकता है। आज स्वार्थ में जो कुछ हो रहा है वह निन्दनीय है। विकास की दौड़ में लोग भूल जाते हैं कि हमारे जैसा दूसरे इन्सानों के भी कुछ अधिकार हैं जिन को नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन आज कल इसी अधिकार को छीना जा रहा है, भौतिकवाद के नशे में लोग ऐसा क़दम उठाने लगते हैं जो उन्हें गलत मार्ग की तरफ ले जाता है, जबकि असल विकास यह है कि दूसरों के अधिकारों का भी ख्याल रखा जाए, लोगों का सम्मान किया जाए, विकास के नाम पर दूसरों के अकिधारों को छीन लेना विकास नहीं बल्कि यह नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पतन है, यही वजह है कि आज झगड़े लूट मार और हत्या की वारदातें हो रही हैं, और इन सब बुराइयों को रोकने के लिये सबसे पहले ज़रूरी यह है कि हम अपने जीवन के हर मैदान में निष्ठा और ईमानदारी को लागू करें धार्मिक सिद्धांतों और नियमों का पालन करें, इसके बगैर अपराध और बुराई कन्ट्रोल में नहीं आ सकती है। इस लिये यह पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वह धार्मिक सिद्धांतों और कानून का पालन करें, कुरआन ने किसी भी निर्दोष की हत्या को अवैध करार दिया है और कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का आदेश देता है कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः ''इसी वजह से हमने बनी इस्राईल पर यह लिख दिया कि जो शख्स किसी को बगैर इसके कि वह किसी का क़ातिल हो या ज़मीन में फसाद मचाने वाला हो, क़त्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम लोगों को क़त्ल कर दिया और जो शख्स किसी एक की जान बचा ले उसने गोया तमाम लोगों को ज़िन्दा कर दिया'' (सूरे माइदा-३२)

इस्लाम एक दूसरे के साथ उदारता से पेश आने की शिक्षा देता है, वह हर उस कारण को पहले ही से खतम करने का समर्थक है जिस से समाज में किसी तरह की बुराई फैलने की आशंका हो और हर उस कार्य की निन्दा करता है जिससे समाज में अनियमितता पैदा होती हो। अल्लाह तआला हम सभी इन्सानों को एक दूसरे के जान व माल और सम्मान की रक्षा करने की क्षमता दे।

❑ ❑ ❑

गाँव महल्ला में सुबह शाम पढ़ाने के लिये मकातिब क़ाइम कीजिए
मकातिब में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का आयोजन कीजिये

हज़रात! पवित्र कुरआन इन्सानों और जिन्नों के नाम अल्लाह का अंतिम सन्देश है जो आखिरी नबी पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ जो मार्गदर्शन का स्रोत, इबरत व उपदेश का माध्यम, दीन व शरीअत और तौहीद व रिसालत का प्रथम स्रोत है जिस का अक्षर-अक्षर ज्ञान और हिक्मत व उपदेश के मोतियों से परिपूर्ण है जिस का सीखना सिखाना, और तिलावत सवाब का काम और जिस पर अमल सफलता और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का सबब और ज़मानत है और कौमों की इज़्ज़त व जिल्लत और उत्थान एवं पतन इसी से सशर्त है। यही वजह है कि मुसलमानों ने शुरूआत से ही इसकी तिलावत व क़िरत और इस पर अमल का विशेष एहतमाम किया। हिफ्ज व तजवीद और कुरआन की तफसीर के मकातिब व मदारिस काइम किए और समाज में इस की तालीम व पैरवी को विशेष रूप से रिवाज दिया जिस का परिणाम यह है कि वह कुरआन की बरकत से हर मैदान में ऊंचाइयों तक पहुंचे लेकिन बाद के दौर में यह उज्जवल रिवायत दिन बदिन कमजोर पड़ती गई स्वयं उप महाद्वीप में कुरआन की तालीम व तफसीर तो दूर की बात तजवीद व किरात का अर्से तक पूर्ण और मजबूत प्रबन्ध न हो सका और न इस पर विशेष ध्यान दिया गया जबकि कुरआन सीखने, सिखाने, कुरआन की तफसीर और उसमें गौर व फिक्र के साथ साथ तजवीद भी एक अहम उददेश था और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस की बड़ी ताकीद भी फरमाई थी।

शुक्र का मकाम है कि चन्द दशकों पहले मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द सहित विभिन्न पहलुओं से शिक्षा जागरूकता अभियान के पिरणाम स्वरूप, मदर्सों, जामिआत, और मकातिब व मसाजिद में पवित्र कुरआन की तजवीद का मुबारक सिलसिला शुरू हुआ था जिस के देश व्यापी स्तर पर अच्छे परिणाम सामने आए। पूरे देश में मकातिब बड़े स्तर पर स्थापित हुए और बहुत सी बस्तियों में मकतब की तालीम के प्रभाव से बच्चों का मानसिक रूप से विकास होने लगा लेकिन रोज़ बरोज़ बदलते हालात के दृष्टिगत आधुनिक पाठशालाओं, कन्वेन्ट्स और गांव में मदारिस की वजह से मकातिब बहुत प्रभावित हुए इस लिये मकातिब को बड़े और अच्छे स्तर पर विकसित करने की ज़रूरत है ताकि नई पीढ़ी को दीन की बुनियादी बातों और पवित्र कुरआन से अवगत कराया जा सके।

इसलिये आप हज़रात से दर्दमन्दाना अपील है कि इस संबन्ध ा में विशेष ध्यान दें और अपने गांव महल्लों में सुबह व शाम पढ़ाने के लिये मकातिब की स्थापना को सुनिश्चित बनाएं। अगर काइम है तो उनकी सक्रियता में बेहतरी लाएं, प्राचीन व्यवस्था को अपडेट करें, इन में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का विशेष आयोजन करें ताकि जमाअत व मिल्लत की नई पीढ़ी को दीन व चरित्र से सुसज्जित करें और उन्हें दीन व अकीदे पर काइम रख सकें।

अल्लाह तआला हम सब को एक होकर दीन जमाअत व जमीअत और मुल्क व मिल्लत की निस्वार्थता सेवा करने की क्षमता दे, हर तरह के फितने और आजमाइश से सुरक्षित रखे और वैश्विक महामारी कोरोना से सबकी रक्षा करे। आमीन

अपील कर्ता

असगर अली इमाम महदी सलफी

अमीर, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द एवं अन्य जिम्मेदारान